The Chitransh Academic & Research n Online Peer Reviewed / Refereed Journal
International Journal of Multidisaciplinary Reseaech
Volume1 | Issue 3 |June 2025
ISSN: 3049-303X (Online)
Website: www.thechitranshacadmic.in

# बिहार में वैवाहिक विघटन और परित्याग के पश्चात स्त्री अस्मिता का मनोसामाजिक संकट

**सुबोध कुमार**

शोधार्थी, मनोविज्ञान विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, गया, बिहार, भारत

**ARTICLE DETAILS**

**Research Paper**

*Received:* ***01.06.25***

*Accepted:* ***25.06.25***

*Published:* ***30/06/25***

**Keywords:** परित्यक्त महिलाएँ, स्त्री अस्मिता, पुनर्निर्माण, महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह, सामाजिक बहिष्कार

**ABSTRACT**

यह शोध बिहार की उन महिलाओं के जीवन पर केंद्रित है जो परित्यक्त या तलाकशुदा हैं, और जिनके जीवन में वैवाहिक विघटन के बाद गहरा मनो-सामाजिक संकट उत्पन्न हुआ है। अध्ययन यह विश्लेषण करता है कि विवाह टूटने के पश्चात महिलाओं को केवल पारिवारिक नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक अस्वीकृति का भी सामना करना पड़ता है। यह सामाजिक अस्वीकार्यता न केवल उनके अस्तित्व और आत्मसम्मान को प्रभावित करती है, बल्कि उनकी सामाजिक पहचान को भी विखंडित कर देती है। गया ज़िले की 12 परित्यक्त महिलाओं के साथ लिए गए गहन साक्षात्कारों के माध्यम से यह गुणात्मक शोध तैयार किया गया है। इसमें भूमिका सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास - सिद्धांत, और लैंगिक समाजशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर स्त्री अस्मिता के विघटन और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि ये महिलाएँ सामाजिक बहिष्कार, आत्मग्लानि, अवसाद और पहचान संकट जैसी स्थितियों से जूझती हैं। यद्यपि कुछ महिलाओं ने शिक्षा, स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगार के माध्यम से पुनर्निर्माण की दिशा में प्रयास किए हैं, फिर भी समाज से उन्हें व्यापक समर्थन और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। यह अध्ययन नीतिगत विमर्श में योगदान देता है और सुझाव देता है कि परित्यक्त महिलाओं के लिए विशेष पुनर्वास योजनाएं, संवेदनशील पंचायत व्यवस्था, एवं मानसिक परामर्श केंद्रों की स्थापना की जाए।

## 1. परिचय

भारत में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है, खासकर महिलाओं के लिए यह केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि उनकी पहचान, सम्मान और सामाजिक स्थान का आधार होता है। जब किसी महिला का वैवाहिक जीवन असफल हो जाता है या उसे पति द्वारा छोड़ दिया जाता है, तो उसके सामने केवल एक भावनात्मक दुख नहीं आता, बल्कि वह अपनी सामाजिक पहचान, आत्म-सम्मान और मानसिक संतुलन भी खोने लगती है।

बिहार जैसे पारंपरिक राज्य में यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था आज भी पितृसत्तात्मक सोच से चलती है, जहाँ विवाह को महिला की 'पूर्णता' माना जाता है। ऐसे में जब कोई महिला परित्यक्त हो जाती है, तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता। वह कई बार अपने ही घर-परिवार में बोझ की तरह देखी जाती है। पंचायतें और गाँव के बुज़ुर्ग अक्सर इन मामलों को परंपरागत तरीकों से निपटाते हैं, जिसमें महिला के अधिकारों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।

हमारा संविधान महिलाओं को समानता, सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14, 15 और 21 जैसे प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का हक़ होगा। साथ ही *हिंदू विवाह अधिनियम 1955*, *घरेलू हिंसा अधिनियम 2005*, और *मुस्लिम महिला अधिकार अधिनियम 1986* जैसे कानून महिलाओं को वैवाहिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। लेकिन व्यवहार में ये अधिकार कितने काम आते हैं यह सवाल आज भी खुला है। गांवों और कस्बों में रहने वाली महिलाओं को अक्सर ये कानून या तो पता ही नहीं होते, या उन्हें इनका लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में वे एक असहाय स्थिति में पहुँच जाती हैं, जहाँ समाज उन्हें अस्वीकार कर देता है और वे खुद को भी छोटा और बेकार समझने लगती हैं।

इस स्थिति से न केवल उनका सामाजिक जीवन प्रभावित होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी वे गहरे तनाव और अवसाद में चली जाती हैं। वे चुप हो जाती हैं, अकेली रहने लगती हैं और दुनिया से दूरी बना लेती हैं। यह स्त्री अस्मिता का संकट है  जब एक महिला अपनी पहचान, आत्मविश्वास और सामाजिक भूमिका सब कुछ खो देती है।

अब तक अधिकतर शोध शहरी महिलाओं या केवल कानूनी पहलुओं पर किए गए हैं। लेकिन बिहार जैसे राज्य में, खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के अनुभवों को बहुत कम समझा गया है। इस शोध का उद्देश्य यह है कि परित्यक्त महिलाएं इस मानसिक और सामाजिक संकट का सामना कैसे करती हैं?  क्या वे अपने जीवन को फिर से खड़ा कर पाती हैं? और क्या समाज या कानून उन्हें वह सहयोग देता है जिसकी उन्हें ज़रूरत है?

यह अध्ययन गया ज़िलों में रहने वाली 12 परित्यक्त महिलाओं के गहरे साक्षात्कार पर आधारित है। साथ ही महिला सहायता समूहों और पंचायत प्रतिनिधियों से भी बात की गई है। अध्ययन यह समझने की कोशिश करता है कि किस तरह एक महिला, जो विवाह के बाद अकेली छोड़ दी जाती है, खुद को फिर से मजबूत बनाती है या टूट जाती है। इस लेख का मक़सद केवल समस्या को दिखाना नहीं है, बल्कि यह बताना भी है कि हम (समाज, सरकार और नीतिनिर्माता) मिलकर क्या कर सकते हैं, ताकि ऐसी महिलाओं को सम्मान और पहचान का जीवन मिल सके।

Corresponding Author: subodh.kr.mu@gmail.com 

## 2. सैद्धांतिक ढाँचा

परित्यक्त महिलाओं की अस्मिता के संकट को केवल एक सामाजिक स्थिति के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह एक जटिल मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया का परिणाम होता है, जो न केवल महिला की भूमिका को बदलता है, बल्कि उसकी पूरी पहचान, आत्मबोध और मानसिक स्थिति को भी झकझोर कर रख देता है। इस शोध में स्त्री अस्मिता के इस बहुआयामी संकट को समझने के लिए तीन प्रमुख सिद्धांतों का आधार लिया गया है भूमिका सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत और - लैंगिक समाजशास्त्रका सिद्धांत।

### 2.1 भूमिका सिद्धांत

भूमिका सिद्धांत यह मानता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति से एक निश्चित भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में यह अपेक्षाएँ अधिक स्पष्ट और सीमित होती हैं जैसे बेटी, पत्नी, बहू और माँ। विवाह के बाद एक महिला की सामाजिक पहचान मुख्यतः पत्नी और गृहणी के रूप में स्थापित होती है। जब कोई महिला अपने पति द्वारा छोड़ दी जाती है या उसका विवाह असफल हो जाता है, तो यह केवल एक निजी रिश्ता टूटने की बात नहीं रह जाती, बल्कि उसके साथ जुड़ी सारी सामाजिक भूमिकाएँ और पहचान भी अचानक खत्म हो जाती हैं। समाज अब उस महिला को "अधूरी", "विफलके रूप में देखने लगता है। वह महिला "अपात्र" या ", जो कल तक एक परिवार की रीढ़ मानी जाती थी, अब अपने ही घर और समाज में अप्रासंगिक हो जाती है। इस स्थिति में उसका आत्मविश्वास टूटता है, और वह खुद को अनुपयोगी, उपेक्षित और बेबस महसूस करने लगती है।

### 2.2 मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत-

इस पहचान के विघटन को यदि मानसिक स्तर पर समझना हो तो एरिक एरिकसन के मनो-सामाजिक विकास के सिद्धांत की प्रासंगिकता स्पष्ट रूप से सामने आती है। एरिकसन के अनुसार, मनुष्य के जीवन में प्रत्येक चरण एक विशेष मानसिक और सामाजिक चुनौती प्रस्तुत करता है। युवा और वयस्क महिलाओं के जीवन में यह चुनौती होती है आत्मीयता बनाम अलगाव और उत्पादकता बनाम ठहराव। जब विवाह जैसी घनिष्ठ संस्था टूटती है और महिला को अकेलेपन और सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, तब उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। वह न केवल रिश्तों में असफल महसूस करती है, बल्कि उसे यह भी लगने लगता है कि अब उसका कोई सामाजिक उद्देश्य या उपयोगिता नहीं रह गई है। यह स्थिति अवसाद, आत्मग्लानि और सामाजिक संकोच की ओर ले जाती है, जिससे वह स्वयं को समाज से दूर करने लगती है। मानसिक स्वास्थ्य पर यह प्रभाव धीरेधीरे उसके व्यवहार-, आत्मसम्मान और जीवन दृष्टिकोण को प्रभावित करता है।

### 2.3 लैंगिक समाजशास्त्र का सिद्धांत

इस पूरे संकट के मूल में सामाजिक संरचना की वह सोच है, जो महिलाओं के लिए पहले से तय की गई भूमिकाओं और अपेक्षाओं के अनुसार उनका मूल्यांकन करती है। यहीं पर लैंगिक समाजशास्त्र के सिद्धांत एक अहम भूमिका निभाते हैं। भारतीय समाज में बचपन से ही लड़कियों को यह सिखाया जाता है कि उनका है परिवार की सेवा "मुख्य धर्म", पति की भलाई और समाज की मर्यादा बनाए रखना। जब कोई

Corresponding Author: subodh.kr.mu@gmail.com 

महिला इन पारंपरिक भूमिकाओं में फिट नहीं बैठती (चाहे उसके अपने कारणों से या परिस्थितियों की मजबूरी में) तो समाज उसे अस्वीकार कर देता है। परित्यक्त महिलाएँ अक्सर इन लैंगिक पूर्वधारणाओं का सबसे तीखा अनुभव करती हैं। उन्हें "अधूरी औरत", "अपवित्र", "अशुभ", या "समाज के लिए असहज" छवि को भीतर से तोड़ देती है। वह यह मानने लगती है कि -समझा जाता है। यह सोच महिला की आत्म उसमें ही कोई कमी थी, और यह सामाजिक व्यवहार उसके मानसिक स्वास्थ्य को और कमजोर कर देता है।

इन तीनों सिद्धांतों के समन्वय से स्पष्ट होता है कि परित्यक्त महिलाओं का संकट केवल एक कानूनी या आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सामाजिक और मानसिक पीड़ा का रूप है, जो उनके अस्तित्व, आत्मसम्मान और जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। यह केवल उनके साथ हुए अन्याय की बात नहीं है, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था की आलोचना भी है जो स्त्रियों को केवल वैवाहिक रिश्तों के आधार पर परखती है।

इस अध्ययन में इन सिद्धांतों के माध्यम से यह समझने की कोशिश की गई है कि जब समाज एक महिला को उसकी पारंपरिक भूमिकाओं से बाहर कर देता है, तो वह किस मानसिक अवस्था से गुजरती है, उसका आत्मबोध किस तरह से प्रभावित होता है, और क्या वह इस संकट से बाहर निकलकर खुद को दोबारा स्थापित कर पाती है या नहीं। यही सैद्धांतिक आधार इस शोध की पूरी दिशा को स्पष्ट करता है और महिला अस्मिता के संकट को गहराई से समझने की राह प्रदान करता है।

## 3. शोध पद्धति

यह अध्ययन एक सामाजिक–मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के तहत परित्यक्त महिलाओं की अस्मिता और मानसिक संघर्ष को समझने के उद्देश्य से किया गया है। शोध की प्रकृति गुणात्मक और वर्णनात्मक रखी गई है, जिससे कि प्रतिभागी महिलाओं के अनुभवों, भावनाओं और सामाजिक परिस्थितियों को उनकी वास्तविकता के अनुरूप गहराई से समझा जा सके।

शोध का क्षेत्र बिहार राज्य का गया जिला चुना गया है, जहाँ सामाजिक परंपराएँ आज भी गहरे रूप से सक्रिय हैं, और जहाँ परित्यक्त महिलाओं की समस्याएँ प्रायः नजरअंदाज कर दी जाती हैं। गया जिले का चयन इस कारण भी किया गया क्योंकि यह एक तरफ धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से प्रतिष्ठित है, वहीं दूसरी ओर यहाँ की ग्रामीण संरचना आज भी पितृसत्तात्मक मूल्यों पर आधारित है, जो महिलाओं की सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती है।

प्रतिभागी के रूप में उन महिलाओं को चुना गया जो अपने वैवाहिक जीवन में परित्याग की स्थिति का अनुभव कर चुकी थीं। कुल 12 महिलाओं का चयन उद्देश्यपूर्ण विधि से किया गया, अर्थात् उन्हीं महिलाओं को शामिल किया गया जो इस अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त थीं और जिन्होंने अपने अनुभव साझा करने के लिए सहमति दी। इनमें से कुछ महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से थीं और कुछ अर्धशहरी क्षेत्रों से-, जिससे अनुभवों में विविधता प्राप्त हो सके।

डेटा संग्रह के लिए इनडेप्थ इंटरव्यू-, केस स्टडी और फील्ड नोट्स जैसे गुणात्मक उपकरणों का उपयोग किया गया। इनडेप्थ इंटरव्यू के ज़रिए महिलाओं के व्यक्तिगत अन-ुभवों को विस्तार से जाना

गया, जबकि केस स्टडी के माध्यम से प्रत्येक महिला की जीवनपरिस्थिति को समग्र रूप में समझा गया। - फील्ड नोट्स में शोधकर्ता ने अपनी टिप्पणियाँ, प्रतिक्रियाएँ और फील्ड के दौरान महसूस किए गए भावों को दर्ज किया, जो विश्लेषण में सहायक रहे। एकत्र किए गए सभी डेटा का विश्लेषण थीमैटिक एनालिसिस पद्धति के अंतर्गत किया गया, जिसमें NVivo सॉफ़्टवेयर और मैनुअल दोनों का सहारा लिया गया। इसमें प्रतिभागियों की बातों से प्रमुख विषयवस्तुएँ निकाली गईं, जैसे:- अस्वीकार का अनुभव, सामाजिक तिरस्कार, आत्मबोध में गिरावट, अकेलापन, संघर्ष की रणनीतियाँ और मानसिक स्थायित्व की तलाश।

## 4. निष्कर्ष एवं विश्लेषण

जब किसी स्त्री का वैवाहिक जीवन असफल होता है और वह परित्यक्त की श्रेणी में आ जाती है, तब यह केवल एक निजी संबंध का अंत नहीं होता यह सामाजिक भूमिका, आत्मसम्मान, और मानसिक संतुलन के ढाँचे को एक साथ झकझोर देता है। इस अध्ययन में भाग लेने वाली बारह परित्यक्त महिलाओं के अनुभवों ने यह स्पष्ट रूप से दर्शाया कि विवाह का विघटन उनके जीवन में केवल भावनात्मक रिक्तता ही नहीं लाया, बल्कि एक गहरे सामाजिक और मानसिक संकट को जन्म देता है, जिससे उबर पाना स्वयं में एक लंबी और कठिन यात्रा बन जाती है।

सबसे पहले जो अनुभव उभरकर सामने आए, वे है **सामाजिक बहिष्कार** और **भूमिकाओं का छिन जाना**। विवाह, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में नारी की पहचान का मूल आधार बन चुका है। जब यह संबंध टूटता है, तो स्त्री से केवल पति या ससुराल नहीं छूटता उससे वह "बहू", "पत्नी", "गृहणी", "बहू- जैसी वह सभी भूमिकाएँ भी छिन जाती हैं "बेटी, जो समाज में उसकी मान्यता का आधार थीं। अधिकतर महिलाओं ने साझा किया कि उन्हें पंचायत स्तर पर खुले रूप से दोषी ठहराया गया, या परोक्ष रूप से समाज की चुप्पी और उपेक्षा का सामना करना पड़ा। उन्हें परिवार से भी वैसा समर्थन नहीं मिला, जिसकी वे अपेक्षा रखती थीं। परिणामस्वरूप, उन्होंने स्वयं को ब"ोझ", "गलत", या समझना शुरू कर "अमान्य" दिया।

इस सामाजिक बहिष्कार का सीधा प्रभाव उनके मानसिक संसार पर पड़ा। ऐसी महिलाएँ भावनात्मक रूप से टूट गईं। कुछ ने खुद को ही इस टूटन का कारण माना, वे आत्मग्लानि और अपराधबोध से भर गईं। उनके जीवन में एक अनकही निराशा और अवसाद फैल गया, जो अक्सर अकेलेपन, अनिद्रा, और मौन के रूप में सामने आया। बातचीत में यह बारबार उभरकर आया कि उन्हें - अपने अस्तित्व को लेकर ही संदेह होने लगा"अब मैं क्या हूँ?", "मैं किसके लिए रह रही हूँ?", "मेरा कोई उद्देश्य बचा है क्या?" जैसी भावनाएँ उनके आत्मबोध को अंदर से झकझोरने लगीं। यह स्थिति पहचान के विघटन की ओर संकेत करती है जहाँ स्त्री स्वयं अपनी परिभाषा से दूर होती चली जाती है।

**तालिका 1.1: कोडिंग आधारित सारांश**

| मुख्य विषयवस्तु | उप-थीम | NVivo कोडिंग फ्रिक्वेंसी | प्रतिभागियों की संख्या (n=12) | मुख्य कथन |
|---|---|---|---|---|
| **सामाजिक बहिष्कार** | पंचायत द्वारा अस्वीकृति | 18 | 10 | "गाँव की पंचायत ने मुझसे बात करना तक बंद कर दिया।" |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | परिवार का तिरस्कार | 15 | 9 | "मायके में भी बोझ की तरह देखा जाने लगा।" |
| | समाज की चुप्पी और कटाक्ष | 22 | 11 | "लोगों की नज़रें तक अब बदल गई हैं।" |
| **मनोवैज्ञानिक प्रभाव** | आत्मग्लानि | 20 | 9 | "शायद मुझसे ही गलती हुई, वरना पति क्यों छोड़ते?" |
| | अवसाद और अकेलापन | 17 | 8 | "रातें रोते हुए बीत जाती हैं, दिल में खालीपन है।" |
| | पहचान विघटन | 19 | 10 | "अब मैं खुद को भी नहीं समझ पाती कि मैं कौन हूँ।" |
| **आत्म-संघर्ष और चुप्पी** | समाज से दूरी | 13 | 7 | "अब किसी से मिलने-जुलने का मन नहीं होता।" |
| | सहनशीलता और आत्म-अस्वीकृति | 14 | 8 | "मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर सकती, सब मेरी गलती है।" |
| **पुनर्निर्माण की संभावनाएँ** | शिक्षा में दोबारा जुड़ाव | 6 | 4 | "मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की, अच्छा लगता है।" |
| | स्वरोजगार/समूह सहभागिता | 7 | 5 | "अब मैं महिला समूह से जुड़ गई हूँ, थोड़ी कमाई भी हो जाती है।" |
| | आत्म-सम्मान की पुनर्प्राप्ति | 5 | 3 | "अब लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, पहले जैसा नहीं हूँ।" |

इसके आगे जिन भावनाओं का स्पष्ट संकेत मिला, वे थीं **आत्मसंघर्ष और सामाजिक चुप्पी**-। अधिकतर महिलाएँ इस स्थिति के बारे में किसी से खुलकर बात नहीं कर सकीं। समाज की चुप्पी और परोक्ष कटाक्षों ने उन्हें भीतर ही भीतर सहने के लिए बाध्य किया। कुछ महिलाओं ने स्वीकार किया कि वे अब सामाजिक आयोजनों में जाना टाल देती हैं, परिचितों से कट गई हैं। यह चुप्पी जो बाहर से शांति लग सकती है भीतर एक तूफ़ान की तरह काम कर रही थी। कुछ ने समाज के प्रति गुस्सा भी महसूस किया, परंतु उसे प्रकट करने का कोई माध्यम नहीं था। धीरेअस्वीकृति में बदल गया जहाँ -धीरे यह गुस्सा आत्म-व्यक्ति खुद को ही नकारना शुरू कर देता है।

लेकिन इन अंधकारमय अनुभवों के बीच कुछ रौशनी की किरणें भी दिखीं। कुछ महिलाओं ने अपने भीतर से फिर से उठने की कोशिश की। उन्होंने पढ़ाई दोबारा शुरू की, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं, या छोटेछोटे घरेलू व्यवसाय शुरू किए। इन प्रयासों ने उन्-हें नया आत्मबल और सामाजिक पहचान दी। उन्होंने स्वीकार किया कि शिक्षा और स्वरोजगार से उन्हें अपनी उपयोगिता दोबारा महसूस हुई "अब लगता है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ", "मैं किसी की दया पर नहीं हूँ", जैसी बातें आशा का संकेत थीं।

महिलाओं के इन अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि परित्याग की स्थिति में केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं टूटता, बल्कि सामाजिक मान्यता, मानसिक स्थिरता, और आत्मविश्वास की पूरी संरचना चरमरा - जाती है। इस टूटन से उबरने के लिए उन्हें केवल आर्थिक सहायता या सांत्वना नहीं, बल्कि मान्यता, स्वीकृति, और सुनवाई की आवश्यकता होती है।

इस विश्लेषण से यह भी प्रमाणित होता है कि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया उन महिलाओं के लिए अधिक सशक्त बनती है जिन्हें शिक्षा, स्वरोजगार, या सामाजिक सहयोग जैसे अवसर मिलते हैं। जहाँ समाज ने उन्हें दोषी ठहराया, वहीं जब किसी संस्था, समूह या व्यक्ति ने उन्हें समर्थन दिया, वहाँ से परिवर्तन की शुरुआत हुई। इस प्रकार यह शोध स्पष्ट करता है कि स्त्री अस्मिता का संकट केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि एक सामूहिक सामाजिक समस्या है और इसका समाधान भी सामूहिक उत्तरदायित्व से ही संभव है।

## 5. निष्कर्ष, सुझाव एवं अनुशंसाएँ

### 5.1 निष्कर्ष

अध्ययन के निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ कि परित्यक्त महिलाओं को समाज द्वारा उपेक्षित, दोषी, और स्त्री के रूप में देखा जाता है। यह सामाजिक दृष्टिकोण न केवल उन्हें सार्वजनिक जीवन से "अधूरी" बाहर कर देता है, बल्कि उनके आत्मबोध को भी छिन्नभिन्न कर देता है।- अधिकतर महिलाओं ने यह अनुभव किया कि उनके साथ समाज, परिवार, और पंचायतों ने अन्यायपूर्ण व्यवहार किया न उन्हें समर्थन मिला, न सहानुभूति, और न ही मान्यता। परिणामस्वरूप वे एकांत, अवसाद, और आत्मग्लानि की स्थिति में पहुँच गईं। कुछ महिलाएँ इस अवस्था से बाहर निकल पाईं (शिक्षा, स्वरोजगार या समूह सहयोग के माध्यम से) लेकिन यह संख्या सीमित रही।

यह स्थिति केवल सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि एक गहन मनोसामाजिक संकट- है, जो नारी अस्मिता, सामाजिक संरचना और सामूहिक चेतना से जुड़ा हुआ है। इस संकट का समाधान तब तक संभव नहीं, जब तक समाज, राज्य और संस्थाएँ एक साथ मिलकर इन स्त्रियों को सशक्त बनाने का प्रयास न करें।

### 5.2 सुझाव

1. **सामाजिक स्वीकार्यता के लिए जनजागरण अभियान**: परित्यक्त महिलाओं को समाज में पुनः सम्मानपूर्वक स्थान दिलाने के लिए पंचायत, स्थानीय निकायों, और मीडिया के माध्यम से सकारात्मक अभियान चलाए जाने चाहिए। उन्हें "अधूरी स्त्री" नहीं, बल्कि "संकट में साहसी नागरिक" के रूप में देखा जाना चाहिए।
2. **कौशल विकास एवं पुनःशिक्षा कार्यक्रम**: राज्य सरकार व स्थानीय NGO को मिलकर विशेष प्रशिक्षण केंद्र चलाने चाहिए जहाँ परित्यक्त महिलाओं को स्वरोजगार, डिजिटल साक्षरता, और शिक्षा के अवसर मिलें ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
3. **सामाजिक सुरक्षा और परामर्श केन्द्र**: प्रत्येक जिले में महिला सहायता केंद्रों को परित्यक्त महिलाओं के लिए विशिष्ट काउंसलिंग, कानूनी सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सहयोग के साथ मज़बूत किया जाना चाहिए।
4. **महिला समूहों एवं SHG के माध्यम से पुनर्निर्माण**: स्वयं सहायता समूहों को परित्यक्त महिलाओं के पुनर्वास और मनोबलवृद्धि का माध्यम बनाया जाए। उनके लिए विशेष ऋण-, सब्सिडी और उत्पादनआधारित योजनाएँ लागू हों।-
5. **पंचायती स्तर पर पुनर्संवेदनशीलता प्रशिक्षण**: पंचायत प्रतिनिधियों, वार्ड सदस्यों व ग्रामिण नेताओं को प्रशिक्षण दिया जाए कि वे परित्यक्त महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करें, बल्कि उनकी समस्या को गंभीरता से सुनें और समाधान दें।
6. **डेटा संग्रहण और नीति निर्माण**: राज्य स्तर पर परित्यक्त महिलाओं की जनगणनाडेटा संकलन / हो ताकि उनके लिए लक्षित योजनाएँ बनाई जा सकें। इस वर्ग को महिला नीति में अलग से शामिल किया जाए

### 5.3 अनुशंसाएँ

- **राष्ट्रीय महिला आयोग** और **राज्य महिला आयोग** को परित्यक्त महिलाओं के लिए विशेष नीति दस्तावेज )Policy Framework) तैयार करना चाहिए।
- **कौशल विकास मंत्रालय** को के अंतर्गत "एकल महिलाओं के लिए जीवनपुनर्निर्माण मिशन" राज्यवार कार्यक्रम लागू करने चाहिए।
- **शिक्षा नीति में वयस्क महिलाओं की शिक्षा** हेतु विशेष प्रावधान जोड़ा जाए, ताकि वे समाज से फिर से जुड़ सकें।
- **पंचायती राज अधिनियम** में ऐसे उपबंध जोड़े जाएँ कि ग्राम स्तर पर महिला समस्याओं को सुनने और सुलझाने की बाध्यता हो।
- **मीडिया नियमन निकायों** को संवेदनशील पत्रकारिता को बढ़ावा देने हेतु दिशानिर्देश जारी करने चाहिए जिससे परित्यक्त महिलाओं की गरिमा बनी रहे।

स्त्री अस्मिता का संकट केवल स्त्री का संकट नहीं है यह पूरे समाज के मनोबल, न्यायबोध और - मानवता का परीक्षण है। यदि समाज इन स्त्रियों को पुनः अपनाने में असफल रहता है, तो यह पराजय केवल उनकी नहीं होगी, बल्कि पूरे सामाजिक तानेबाने की होगी। इसलिए अब समय है कि प-रित्यक्त महिलाओं को पुनः गरिमा, सुरक्षा, और आत्मनिर्भरता की राह दी जाए , न केवल सहानुभूति के आधार पर, बल्कि **समानता और अधिकार** के आधार पर।

### संदर्भ सूची


1. एरिक्सन, ई) .एच .1950). ***बाल्यावस्था और समाज***। न्यूयॉर्कनॉर्टन एंड कंपनी। .डब्ल्यू .डब्ल्यू :
2. गॉफमैन, ई) .1959). ***दैनंदिन जीवन में आत्मप्रस्तुति-***। न्यूयॉर्कडबलडे। :
3. भारत सरकार। )1955). ***हिंदू विवाह अधिनियम***।
4. भारत सरकार। )2005). ***घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम***।
5. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। )2016). ***राष्ट्रीय महिला नीति (प्रारूप)***।
6. राष्ट्रीय महिला आयोग। )2020). ***भारत में एकल और परित्यक्त महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट***।
7. सेन, अमर्त्य। )1999). ***स्वतंत्रता के रूप में विकास***। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
8. शर्मा, उएवं गुप्ता ., अ) .2020). ***लैंगिक अंतरिक्ष और ग्रामीण महिलाओं की स्थितिबिहार : पर एक अध्ययन***। ***इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज***, 27(3), 297–314।
9. सिंह, आरएवं मिश्रा ., एम) .2021). ***परित्यक्त महिलाओं के अनुभवसामाजिक कलंक और : पुनर्निर्माण-आत्म***। ***सोशल चेंज***, 51(2), 150–167।
10. यूएन वुमेन। )2019). ***दुनिया की महिलाओं की प्रगति 2019–2020: बदलती दुनिया में परिवार***। संयुक्त राष्ट्र महिला संस्था।